न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री/टीए/5968/2004/बीकानेर

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा, जिला बीकानेर

-अपीलार्थी

बनाम

1- नैनगिरी पुत्र तुलछीगिरी, जाति गुसाई, निवासी बीकासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर
2- सेसकरणदान पुत्र चण्डीदान, मृतक जरिये विधिक वारिसानः-
   2/1. श्रीमती हस्तुदेवी पत्नी स्व0 सेसकरणदान
   2/2. लाच्छा पुत्री सेसकरणदान
   2/3. लाडा पुत्री सेसकरणदान
   2/4. दुर्गा पुत्री सेसकरणदान, सभी जाति चारण निवासीगण बीकासर तहसील नोखा, जिला बीकानेर। (तर्क)
3- ग्राम पंचायत बीकासर, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर
4- उम्मेदसिंह पुत्र मोहनदान जाति चारण, निवासी बीकासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर

-प्रत्यर्थीगण

उपस्थित

श्री एस.पी. औझा, राजकीय अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री जी.एस. लखावत, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री एन.के. गोयल, श्री दिनेश कुमार सैन, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

(2) **अपील डिक्री/टीए/98/2005/बीकानेर**

1- ग्राम पंचायत बीकासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बीकासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर

-अपीलार्थी

बनाम

1- नैनगिरी पुत्र तुल्छगिरि, जाति गुसाई, निवासी बीकासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर
2- सैंसकरण पुत्र चण्डीदान, जाति चारण निवासी बीकासर तहसील नोखा, जिला बीकानेर (नाम तर्क)

-प्रत्यर्थीगण

3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा, जिला बीकानेर

-तरतीबी प्रत्यर्थी

अपील डिक्री/टीए/5968/2004/बीकानेर
सरकार बनाम नैनगिरी
अपील डिक्री/टीए/98/2005/बीकानेर
ग्राम पंचायत बनाम नैनगिरी

<u>उपस्थित</u>

श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एन.के. गोयल, श्री दिनेश कुमार सैन, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण
श्री एस.पी. औझा, राजकीय अभिभाषक तरतीबी प्रत्यर्थी

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

–निर्णय–

दिनांकः– 11–02–2025

अपीलार्थी राज्य सरकार व ग्राम पंचायत बीकासर ने यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 16/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–10–2004 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) के निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–1998 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– दोनों अपीलों में पक्षकार एवं निर्धारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दो अपीलें पृथक–पृथक प्रस्तुत होने पर दोनों अपीलों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में सुरक्षित रखी जावें।

3– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बीकासर स्थित खेत ख0 नं0 15 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा पर वादी के पिता तुलछीगिर का सम्वत् 2004 यानि सन् 1945 से बतौर काश्तकार कब्जा व काश्त था। वादी के पिता का उक्त भूमि पर जागीर रिजम्पशन के दिन व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होने के दिन से कब्जा व काश्त रहा है व वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का ही कब्जा व काश्त है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 06–03–1998 को वाद वादी स्वीकार कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे विद्वान

अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13-10-2004 से अपील अपीलांट अस्वीकार कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13-10-2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार व ग्राम पंचायत बीकासर ने दो पृथक-पृथक अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

4- उभयपक्ष की बहस अपील दोनों पत्रावालियों पर सुनी गयी।

5- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि सम्वत् 2012 से 2015 की जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि औरण श्री करणी जी माता जी के नाम दर्ज है। भूमि पर अगर किसी का कब्जा रहा है तो भी केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते थे क्योंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है एवं इस प्रकार की भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं तो वे विधि विरूद्ध है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2012 में भूमि पर कब्जा वादी का माना है जबकि खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड ऑफ राईट की तारीफ में नहीं आता है तथा खसरा गिरदावरी के अंकन से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। खसरा गिरदावरी में भी केवल मात्र 2012 से 2014 में काश्त बताई थी जबकि इससे पूर्व के वाद में भूमि पर काश्त दर्ज न होकर भूमि बंजड़ थी। नैनगिरी ने तथ्यों को छिपाकर राज्य सरकार व राजस्व विभाग के समक्ष मौजूदा वादी के द्वारा नियमन की स्वीकृति चाहने पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा पत्र दिनांक 18-12-1997 से नियमन की स्वीकृति जारी कर नैनगिरी को खातेदारी का अंकन किया गया। वादग्रस्त भूमि मन्दिर श्री करणी जी माता मन्दिर की औरण भूमि है जिस भूमि बाबत् पूर्व में वादी का वाद खारिज कर दिया था तो पुनः दावा नहीं लाया जा सकता है जो कि रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित था। अतः अपीलांट की दोनों अपीले स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 13-10-2004 एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के वाद सं0 17/98 में पारित निर्णय दिनांक 06-03-1998 को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को पुनः मन्दिर मूर्ति श्री करणी माता के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया।

6- विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादी को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने पर स्वतः ही प्राप्त हो चुके है। राजस्थान काश्तकारी संरक्षण अध्यादेश, 1949 की धारा 4 के आधार पर वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा वादी को वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा होने से स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ग्राम पंचायत की अपील पोषणीय नहीं है क्योंकि जवाब दावे से बाहर जाकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। अधीनस्थ न्यायालय के जो निष्कर्ष है, उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस कारण द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः दोनों अपीले अपीलांट खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2015 आर0आर0टी0 पेज 543, 2006 आर0आर0टी0 पेज 4, 2022 आर0बी0जे0 पेज 345, 383, 1958 आर0आर0डी0 पेज 183, 2008 आर0बी0जे0 पेज 129 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

7- हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

8- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) बीकानेर के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम बीकासर तहसील नोखा के खसरा नम्बर 15 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की मांग इस आधार पर की गई थी कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के

पूर्व से ही काश्तकार रहे है तथा आराजी जैर के बाबत् लगान अदा किया जाता रहा है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक से वादग्रस्त भूमि के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक रहे है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के वादपत्र को डिक्री किये जाने का विनिश्चयन जमाबन्दी संवत् 2012-2015 लिया गया है, जिसके आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(17)राज/ग्रुप-3/94 जयपुर दिनांक 18-12-1997 जिसके माध्यम से आराजी जैर के नियमन के आदेश प्रदान किये गये है, इसी अनुरूप राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(17)राज/ग्रुप-3/94 दिनांक 19-02-1998 जिसके माध्यम से खातेदारी अधिकार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है, को लिया गया है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में आराजी जैर के स्वरूप को कभी भी औरण या चारागाह के रूप में प्रयोग नहीं लिये जाने का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रदत्त किये गये है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की गई है।

9- प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम बीकासर के खसरा नम्बर 15 रकबा 28 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 383/245/15 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 246/15/1 रकबा 12 बिस्वा कुल रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा भूमि के बाबत् दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णयों के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के क्रमशः वादपत्र एवं अपील का निस्तारण किया गया है। ऐसी स्थिति में मण्डल स्तर पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 अथवा उनके पूर्वजों के अंकन के साथ-साथ जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के प्रावधानों को दृष्टिगत् किया जाना अपरिहार्य हो जाता है, एवं इसी अनुरूप आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री में अभिलिखित राज्य सरकार के आदेशों का भी विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

10– प्रस्तुत मामलें में प्रत्यर्थी संख्या 1 के वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत वादपत्र का मुख्य आधार वादग्रस्त भूमि पर सवंत् 2004 अर्थात वर्ष 1945 से निरन्तर कब्जा काश्त होना व लगान अदा करने का लिया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी सवंत् 2010–2013 का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी के कॉलम संख्या 3 में आराजी जैर औरण श्री करणी जी अंकित है तथा कॉलम संख्या 4 में नाम काश्तकार (ख्वाह जागीरदार के मातहत हो ख्वाह खातेदार के) वकैद वल्दियत, कौमियत, सकूनत लगान व नम्बर खतौनी में आराजी जैर का स्वरूप औरण अंकित है। इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 14 में कब्जा व लगान के रूप में तुलछगीर वल्द कानगर कौम गुसाई अंकित है, परन्तु कॉलम संख्या 14 में तुलछगीर वल्द कानगर का कब्जा किस हैसियत से है व उनके द्वारा लगान अदायगी के संबंध में किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 1 के पूर्वजों का नाम कॉलम संख्या 4 में बतौर बतौर काश्तकार काश्तकार (ख्वाह जागीरदार के मातहत हो ख्वाह खातेदार के) वकैद वल्दियत, कौमियत, सकूनत लगान व नम्बर खतौनी में अंकित नहीं होकर औरण अंकित है।

11– प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत अनुतोष का पात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस आधार पर माना गया है कि उपरोक्त विधिक प्रावधानों के प्रभाव में आने की दिनांक को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पूर्वज बतौर काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे है तथा इसी अनुरूप वादपत्र को डिक्री किया गया है। इस संबंध में जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 का अवलोकन किया गया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है किः– Khatedari rights in jagir lands - Every tenant in a jagir land who at the commencement of this Act is entered in the revenue records as a Khatedar, pattedar,

khademdar or under any other description implying that the tenant has heritable and full trasnferable rights in the tenancy shall continue to have such rightsand shall be called a khatedar tenant in respect of such land.

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे काश्तकार व्यक्ति को जोकि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने की दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे हो, को खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के प्रावधान निहित किये गये है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 के उपरोक्त कथन के संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी (Record of Rights) का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2010-2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन औरण रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता तुलछगीर का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अंकित है। उक्त कबजा काश्त बतौर अतिक्रमी होने के कथन की पुष्टि खसरा गिरदावरी संत् 2016 के कॉलम संख्या 40 में तुलछीगीर की काश्त होना बताया हे तथा उसके बाद राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये है। इसी अनुरूप खसरा गिरदावरी सवंत् 2013 का अवलोकन किया गया। उक्त खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में नाम भूमि अधिकारी जागीरदार के रूप में सेसकरणदान अंकित है तथा कॉलम संख्या 6 में औरण श्री करणी जी अंकित करते हुए तुलछगीर वल्द कानगर कौम गुसाई सा. देह अंकित है। भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 एच में भोक्ता भूमि को जागीर भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त धारा 2 एच के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जब भी ऐसी जागीरों का अधिग्रहण किया गया है, उक्त दिनांक से समस्त जागीर भूमि जिसमें माफी की भूमि को भी शामिल किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करते हुए खुदकाश्त की भूमि को छोड़ते हुए अधिनियम की धारा 9 के तहत कृषक के आधिपत्य में होना स्वीकार किया गया है तथा ऐसे कृषकों को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार माना

गया है। प्रकरण में भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात दिनांक 08-02-1952 को वादग्रस्त भूमि जागीर के रूप में सेन्सकरणदान के नाम व कॉलम संख्या 6 में औरण श्री करणी जी के नाम दर्ज भूमि रही है। ऐसी स्थिति में जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने की दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता दर्ज होने का कथन स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता।

12- प्रस्तुत मामलें में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय का अन्य आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 जिसके तहत उपरोक्त प्रावधान लागू होने की दिनांक को ऐसे काश्तकार जोकि भूमि पर बतौर काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे हो तथा उनके द्वारा लगान अदा किया जाता रहा हो, को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के प्रावधान निहित किये गये है। इस संबंध में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः- ''Section 15 of the Act lays down that subject to the provisions of section 16 a persons who at the commencement of the Act is a tenant of the land otherwise than as a sub-tenant of a tenant of Khud Kasht shall be a Khatedar tenant and shall be entitled to all the rights conferred and be subject to all the liabilities impiosed on Khatedar tenant by this Act.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 ऐसे काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करती है जोकि उक्त प्रावधानों के प्रभाव में आने की दिनांक को वादग्रसत आराजी पर बतौर कृषक काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे हो। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य को इस आधार पर ही साबित किया जा सकता है कि आरटीएक्ट के प्रभाव में आने की दिनांक अर्थात संवत् 2012 या उससे पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 1 अथवा उनके पिता का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर बतौर कृषक कब्जा काश्त रहा हो। उपरोक्त तथ्य को साबित करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सवंत् 2010-2013 में काश्तकार के कॉलम में औरण अंकित होना जाहिर है।

ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के प्रावधान भी दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई सहायता प्रदान नहीं करते है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 की विधि विरूद्व तरीके से व्याख्या करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार होना अंकित किया गया है।

13– प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में यह अभिलेखन किया जाना कि वादग्रस्त भूमि वास्तव में औरण न होना भी प्रमाणित है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि को कभी भी औरण या चारागाह के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या खसरा गिरदावरी संवत् 2010 ता 2012, 2013 ता 2016 को लिया गया है। जबकि उपरोक्त खसरा गिरदावरियों में वादग्रस्त भूमि का स्वरूप औरण अंकित रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता तुलछगीर को संबंधित तहसीलदार जोकि भू–धारक होता है, भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत समय–समय पर आराजी जैर से बेदखली हेतु नोटिस जारी किये जाते है। जिससे यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता तुलछगीर का कब्जा बतौर अतिक्रमी रहा है तथा कोई भी अतिक्रमी औरण अथवा चारागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का मुश्तहक नहीं माना जा सकता। ऐसी भूमियों के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में अभिलिखित किया गया है किः– Land in which Khatedari rights shall not accure - Notwithstanding anything in this Act or(in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State) Khatedari rights shall not accure in - (i) Pasture land (चारागाह)., इसप्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 Pasture land /चारागाह भूमि के खातेदारी अधिकार काश्तकार को प्रदत्त करने से बाधित करती है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के वादपत्र को डिक्री करने से पूर्व विधि के उपरोक्त प्रावधानों की अनदेखी किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

14– प्रकरण में उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रश्न यह भी है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बीकासर के खसरा नम्बर 15 तादादी 34 बीघा भूमि के बाबत् अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत पूर्व में वादपत्र संख्या 203/84 पेश करते हुए स्वयं बतौर वादी अभिलिखित किया गया है कि नैनगिर पुत्र श्री तुलछगीर जाति स्वामी निवासी बीकासर तहसील नोखा जिला बीकानेर बहैसियत पुजारी मंदिर श्रीकरणी जी, बीकासर अंकित किया गया है। उक्त वादपत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर द्वारा दिनांक 28–04–1993 को निर्णित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि **''सार्वजनिक भूमि पर काश्त करना अतिक्रमण की तारीफ में आता है। जागीर पुर्नग्रहण के बाद समस्त जमाबंदीयात् में उक्त विवादित भूमि औरण श्री करणीजी के नाम से दर्ज हुई है जो सार्वजनिक उपयोग में ग्राम के पशुओं के चरने के लिये काम में आनी वाली भूमि है, वादी अतिक्रमी है उसका टाईट्ल विवादित भूमि पर नहीं है। इसलिए दावा वादी खारिज किया जाता है।''** इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की जा चुकी है, तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के वादपत्र को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा चुका है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए (Concealment of Facts) वादपत्र को डिक्री करवाया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में विधिक प्रावधानों यथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 Res Judicata (पूर्व–न्याय) का अवलोकन किया गया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है किः– Res-Judicata - No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and subsantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom thay or any of them claim, litigating under

the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रत्यथी संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष समान आराजी के बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की जा चुकी है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र का अंतिम रूप से दिनांक 28-04-1993 को निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 पश्चात्वर्ती वादपत्र में पूर्व-न्याय के सिद्धान्त से बाधित रहा है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वादपत्र को प्रस्तुत करने का आधार बहैसियत पुजारी मंदिर श्री करणीजी अंकित किया गया है, परन्तु पश्चात्वर्ती वादपत्र में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग जागीर पुर्नग्रहण अधिनिमय, 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपरोक्त विधिक प्रावधान लागू होने की दिनांक से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ आराजी जैर पर बतौर काबिज काश्तकार की गई है। प्रकरण में चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पूर्ववर्ती वादपत्र में आराजी जैर के बाबत् जरिये पुजारी अपने अधिकारों की मांग की गई है, जिसे अस्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती वादपत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को बतौर काबिज काश्तकार मानते हुए खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना युक्तियुक्त एंव तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्ववर्ती वादवत्र के अनुसरण में विबंधन (Stopal) के सिद्धान्त से भी बाधित रहा है। प्रकरण में जहाँ तक विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री में राज्य सरकार के आदेशों को अभिलिखित किया गया है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रस्तुत प्रकरण में जब विधि में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ही प्रत्यर्थी संख्या 1 आराजी जैर के बाबत् किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार का मुश्तहक नहीं माना जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 को राहत प्रदान किये जाने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। अधीवक्ता रेस्पोडेंट ने यद्यपि यह तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत को

अपील करने का अधिकार नहीं था यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि शुरू से ही ग्राम पंचायत पक्षकार रही है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल स्वरूप एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को आराजी जैर के खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने में विधिक त्रुटि कारित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलार्थी की उक्त द्वितीय अपीलें स्वीकार योग्य पाई जाती है।

15- प्रकरण में जहाँ तक विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने एवं समवर्ती निर्णय से संबंधित होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया लागू नहीं होने से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।

16- परिणामतः उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपीलार्थी राज्य सरकार व ग्राम पंचायत बीकासर की दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 13-10-2004 व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 06-03-1998 अपास्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मंदिर मूर्ति श्री करणीमाता जी औरण के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हे।

17- अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया) **(हिमन्त कुमार गेरा)**

सदस्य **अध्यक्ष**